

20-401052/18/CF
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.1-1/2017-हिं.अ.

दिनांक: 26-12-2017

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय संबंधी।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को आऊटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर कार्यालय के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान एम्स, नई दिल्ली मुख्यालय द्वारा माननीय उप-समिति को निम्नलिखित आश्वासन दिया गया था:

“एम्स, नई दिल्ली मुख्यालय द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50% हिंदी पर किया जाएगा व ब्यौरा क्षेत्रवार व भाषावार दर्शाया जाएगा।”

संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों को, एतद्वारा, निदेश दिया जाता है कि संस्थान में प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50% हिंदी पर किया जाए तथा ब्यौरा क्षेत्रवार व भाषावार रखा जाए। कृपया माननीय संसदीय राजभाषा समिति को संस्थान द्वारा दिए गए उक्त आश्वासन की पूर्ति हेतु अपेक्षित कार्यवाई सुनिश्चित की जाए।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

र गुप्तिरिया
26/12/17
(डॉ.रणदीप गुलेरिया)
निदेशक

वितरण: सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/(परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
2. उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
3. उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
5. वरिष्ठ भंडार अधिकारी(नि.का.)
6. प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग।
7. प्रभारी अधिकारी, (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

‘क’ क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

‘ख’ क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

श्री एस. जे. रेड्डी
नोट:

29.12.17
Dr. Sanjeev Kumar
A. A. R.